चंडीगढ़ पुलिस लाइन में खेली गई क्रिकेट लीग में विजेता चंडीगढ़ पुलिस की टीम ● जागरण

जसविंद्र सिंह बने चंडीगढ़ पुलिस की जीत के हीरो

जासं, चंडीगढ़ : डीएसपी जसविंद्र सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत चंडीगढ़ पुलिस ने आइडीएस अरगस क्रिकेट टीम को 69 रनों से हराकर तीसरी कारपोरेट क्रिकेट लीग चैंपियनशिप में जीत दर्ज की। चंडीगढ़ पुलिस लाइन में खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ पुलिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिओम के 8 चौके की मदद से बनाए 72 रन और डीएसपी जसविंद्र सिंह 32 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। आइडीएस अरगस की टीम की ओर चंदन ने 3 विकेट और रवि ने 1 विकेट झटके। जवाब में आइडीएस अरगस की पूरी टीम 15.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर मात्र 102 रन ही बना सकी। विजेता टीम की ओर से यश धीमान ने 5 विकेट और डीएसपी जसविंद्र सिंह ने 4 विकेट लिए। मैच में शानदार प्रदर्शन प्रदर्शन करने पर डीएसपी जसविंद्र सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

Dainik Jagran Dt: 27/05/2018

चंडीगढ़ पुलिस ने आई.डी.एस. आर्गस को हराया

चंडीगढ़, 26 मई(लल्लन) : डी.एस.पी. जसविंद्र सिंह के ऑलराउंडर प्रदर्शन से चंडीगढ़ पुलिस ने आई.डी.एस. आर्गस क्रिकेट टीम को 69 रन से हराकर तीसरे कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग चैंपियनशिप में जीत दर्ज की। चंडीगढ़ पुलिस लाइन में खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ पुलिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरीओम के 72 रन तथा डी.एस.पी. जसविंद्र सिंह 32 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट के नुक्सान पर 171 रन बनाए। चंदन ने 3 विकेट तथा रवि ने 1 विकेट झटके। आई.डी.एस. आर्गस की टीम 15.5 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 102 रन ही बना सकी। यश धीमान ने 5 विकेट तथा डी.एस.पी. जसविंद्र सिंह ने 4 विकेट झटके। डी.एस.पी.जसविंद्र सिंह को 'मैन ऑफ दा मैच' का अवार्ड दिया गया।

पंजाब केसरी ई-पेपर Sun, 27 epaper.p

कैनेडा का वीजा लगवाने के नाम पर 1.28 करोड़ ठगने वाली कंपनी की डायरैक्टर गिरफ्तार

पंजाब के युवाओं ने सैक्टर-43 स्थित मैसर्स हाई कमीशन फेसिलेशन सर्विस एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज करवाया था केस

चंडीगढ़, 26 मई (सुशील राज): कैनेडा का वीजा लगवाने के नाम पर 50 लोगों से 1.28 करोड़ रुपए ठगने वाली सैक्टर-43 स्थित मैसर्स हाई कमीशन फेसिलेशन सर्विस एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड की डायरैक्टर ज्योति ठाकुर पुलिस ने सैक्टर-35 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे जिला अदालत में पेश किया। पुलिस ने ज्योति ठाकुर का रिमांड लेने के लिए दलील दी कि पुलिस को उससे कई दस्तावेज बरामद करवाने हैं। इसके अलावा पीड़ितों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज रिकवर करवाने हैं। फरार चल रहे सह आरोपी और कंपनी के पार्टनर परमजीत सिंह हंसपाल को भी गिरफ्तार करवाना है।

दो दिन के रिमांड पर भेजा

बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने शिकायतकर्त्ताओं से किसी तरह का वादा नहीं किया था कि वह उनका वीजा लगवाकर ही देंगे। वह वीजा के लिए प्रोसैस करते हैं और उसकी फीस लेते हैं। जिन लोगों ने पुलिस में शिकायत दी है, उनका वीजा एंबेसी द्वारा रिजैक्ट किया गया है। ऐसे में वह अब प्रोसैस फीस भी वापस मांग रहे हैं, जोकि नामुमकिन है। वहीं, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने लोगों से 2.5 से 5 लाख रुपए तक लिए हैं। यह प्रोसैस के लिए नहीं वीजा के नाम पर ठगे हैं। फीस केवल 15 हजार रुपए तक होती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी डायरैक्टर ज्योति ठाकुर को दो दिन के रिमांड पर भेज दिया।

पैसे मांगे तो धक्के देकर निकाला बाहर

बरनाला की जसप्रीत कौर ने बताया कि एक विज्ञापन के जरिए कैनेडा का स्टडी वीजा लगवाने के लिए उसने इमिग्रेशन कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी ने 3 लाख 70 हजार रुपए और पासपोर्ट मांगे थे। उन्होंने रुपए और कागजात कंपनी के हवाले कर दिए लेकिन दो साल से कंपनी ने न तो वीजा लगवाया और न ही उनके पैसे वापस किए। वहीं, जसमीन कौर ने बताया कि उन्होंने स्टडी वीजा लगवाने के लिए कंपनी को चार लाख 65 हजार रुपए दिए थे। अमृतसर निवासी बलजीत कौर ने पांच लाख 47 हजार, जालंधर निवासी रमनप्रीत कौर तीन लाख 35 हजार, तरनतारन की गुरप्रीत कौर ने तीन लाख 10 हजार, रोपड़ की जसमीन कौर से चार लाख 90 हजार समेत अन्य लोगों ने तीन से छह लाख के रुपए स्टडी वीजा लगवाने के लिए इमिग्रेशन कंपनी को दिए हैं। बलदेव सिंह ने बताया कि जब वह कंपनी के कर्मचारियों से मिलने जाते हैं तो उनके बाउंसर उन्हें धक्के मारकर आफिस से बाहर निकाल देते हैं। शिकायतकर्त्ताओं में पंजाब के अलग-अलग जिलों से लोग शामिल हैं। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने संगरूर निवासी अमरदीप सिंह के अलावा 48 अन्य लोगों की शिकायत पर कंपनी के डायरैक्टर परमजीत सिंह और ज्योति ठाकुर के खिलाफ धारा 406, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Sun, 27 May 2018
epaper.punjabkesari.in/c/28997019